फा.सं.एस.12018/03/2017-एमजी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
चिकित्सा सेवा अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 मार्च, 2019

परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो),सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमबनाने के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. 14017/61/2008-स्था. (आर.आर) के अनुसार राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन में प्रयोगशाला तकनीशियन, समूह ग के पद के लिए भर्ती नियमों (आर.आर) का मसौदा हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

इसलिए सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त भर्ती नियमों के मसौदे को पढ़ें और इस संबंध में अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर samar.mazumder@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजें ताकि उपरोक्त भर्ती नियमों पर विचार करके इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके।

इसे संयुक्त सचिव (एम.के.बी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुलग्नक: यथोपरि

राजीव अत्री
(राजीव अत्री)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.-23061883

प्रति -

सभी संबंधितों को

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 15.03.2019

अधिसूचना

सा. का. नि............. संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं, नामत:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ: इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रयोगशाला तकनीशियन समूह 'ग'पद की भर्ती नियम, 2018 कहा जाए।

(2) ये सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. उक्त पदों की संख्या,वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरणऔर वेतन मैट्रिक्स में लेवलवहींहोंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अपात्रता- ऐसा कोई व्यक्ति,

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

<u>अनुलग्नक-I</u>

पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला तकनीशियन	*1 (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अलिपिकवर्गीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 05 (29,200 रू.-92,300रू.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) (1) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी। (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूपी पद पर कार्यरत (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा (ख) निम्नलिखित अर्हता व अनुभव हो : (i) विज्ञान में 10+2 (ii) एक वर्ष के अनुभव के साथ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। वांछनीय : मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी में बी.एस.सी.। नोट : केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य पूर्व-कैडर पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	लागू नहीं होता	सं.लो.से.आ. के साथ परामर्श अपेक्षित नहीं है।

(फा.सं.ए-12018/03/2017-एमजी)

(राजीव अत्री)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.-23061883